592 20/1/20

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 138/सन् 2019

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>23.12.2019</td><td>
यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादीनी चीड़ी बानू पुत्री लादू खां ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नोरंगसर की जमाबन्दी संवत 2074–77 नया खाता खंख्या 82 पुराना खाता संख्या 148 में प्रार्थनी का नाम राजस्व रिकार्ड में आमना पुत्री लादूखां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थनी का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थनी का नाम आमना उर्फ चीड़ी बानू पुत्री लादू खां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर है। प्रार्थनी का नाम आमना उर्फ चीड़ी बानू पुत्री लादू खां किया जाने के आदेश फरमावे।
वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 में प्रार्थनी का नाम आमना पुत्री लादूखां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पटवारी नोरंगसर एवं भु.अ.निरीक्षण भींवसर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थनी का सही नाम आमना उर्फ चीड़ी बानू पुत्री लादू खां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में नया खाता संख्या 82 पुराना खाता संख्या 148 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नोरंगसर</td><td>82/148</td><td>आमना पुत्री लादूखां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर खातेदार</td><td>आमना उर्फ चीड़ी बानू पुत्री लादू खां जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर खातेदार</td></tr>
</table>
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
23/12/19
उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़
</td><td>2019/00258</td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:08:45 IST
Reason: SelfAttested